भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †2489

उत्तर देने की तारीख- 18/12/2023

ओडिशा में अ.ज.जा. की सूची

†2489. श्री भर्तृहरि महताब:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है कि ओडिशा सरकार ने अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए 160 से अधिक समुदायों की सिफारिश की है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इनमें से कुछ समुदाय उप-जनजातियां हैं, उनकी जनजातीय विशेषताएं समान हैं लेकिन उन्हें उनके समकक्षों को दिए जाने वाले लाभों से वंचित रखा जा रहा हैं; और

(ग) इन सिफ़ारिशों को वर्तमान तिथि तक स्थगित रखने का क्या औचित्य है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क) से (ग): भारत सरकार ने 15.6.1999 को (25.6.2002 और 14.9.2022 को पुन: संशोधित) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूचियों को निर्दिष्ट करने वाले आदेशों में समावेशन, से अपवर्जन और अन्य संशोधनों के दावों पर निर्णय लेने के लिए प्रविधियां निर्धारित की हैं। प्रविधियों के अनुसार, केवल उन्हीं प्रस्तावों पर विचार किया जाना है और विधान में संशोधन किया जाना है जिन्हें संबंधित राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन द्वारा अनुशंसित किया गया है और न्यायोचित ठहराया गया है और भारत के महापंजीयक (आरजीआई) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) द्वारा सहमति दी गई है। प्रस्तावों पर समस्त कार्रवाई इन अनुमोदित प्रविधियों के अनुसार की जाती है।

किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में समावेशन के प्रस्तावों में प्रविधियों के अनुसार कुछ प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है। राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के साथ एक नृवंशविज्ञान रिपोर्ट संलग्न होनी चाहिए। प्रस्तावों की जांच आरजीआई कार्यालय और फिर एनसीएसटी द्वारा की जाती है। यदि प्रस्ताव आरजीआई द्वारा अनुशंसित नहीं है, तो राज्य सरकारों को आरजीआई द्वारा उठाए गए बिंदुओं के बारे में सूचित किया जाता है, ताकि अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, तो राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा सके। इसलिए ऐसे कई प्रस्ताव विभिन्न स्तरों पर जांच के अधीन रह सकते हैं।

******